

संख्या 2465/15-3/83-2/B(9)/82

प्रेषक,

गोविन्द नारायण मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/42 संत चिदर, अंगारी रोड,
दरियामांज, नई दिल्ली 110002

विद्या (3) अनुभूत

विषय - अनामरित प्रमाण पत्र ।



लखनऊ, दिनांक 24 जून, 1983

महोदय,

सुबे यह कहने का निदेश हुआ है कि गानस्थली पब्लिक स्कुल महोबा, हमीरपुर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से संबद्धता देने के लिये उ0प्र0शासन को अनारित नहीं है। किन्तु संस्था को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा -

- (1) संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- (2) संस्था के अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। उन्हें तथा शिक्षण कर्मचारियों को राजकीय शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतन माँगी तथा अन्य भत्तों से कम नहीं दिया जायेगा।
- (3) संस्था को राज्य सरकार तथा प्रादेशिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश कितनी प्रकरण में निर्गत किये जायेंगे उनका पालन करना होगा।
- (4) विद्यार्थियों में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा।
- (5) यदि उक्त में से किसी शर्त का किसी समय उल्लंघन किया जायेगा, तो प्रकृत अनामरित प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवनीय,
24/6/83
(गोविन्द नारायण मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या F-2465 (1)/15-3/83-2/B(9)/82

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (1) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) उपशिक्षा निदेशक, अंगारी।
- (3) शिक्षा विद्यार्थी निरीक्षक, हमीरपुर।
- (4) निरीक्षक, अंगारी भारतीय विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) संस्था के प्रबन्धक।

आज्ञा से,

(गोविन्द नारायण मिश्र)

संयुक्त सचिव।